भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

13.08.2014 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 5107

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

5107. श्री अर्जुनराम मेघवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों ने परमाणु विद्युत संयंत्रों को लेकर अपनी चिन्ता जताई है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके द्वारा जताई गई आशंकाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में भारत सरकार की क्या नीति है;

(घ) क्या सरकार ने वैज्ञानिकों द्वारा जताए जा रहे परमाणु-ऊर्जा संबंधी खतरों को समाप्त करने के लिए कोई नीति तैयार की है/की जा रही है; और

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) जी, हाँ। मार्च, 2011 में जापान में हुई फुकुशिमा की दुर्घटना के बाद, कुछ देशों में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संरक्षा के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गईं थीं। तथापि, नाभिकीय शक्ति वाले अधिकांश देशों ने, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण अथवा प्रचालन संबंधी अपनी मूल योजनाओं को जारी रखा।

(ग) भारत, देश के नाभिकीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर आधारित स्वदेशी आनुक्रमिक त्रि-चरणीय नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम का अनुकरण करता है। सरकार की नीति, लोगों की संरक्षा, सुरक्षा तथा आजीविका को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए देश के नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की है, क्योंकि इसमें, सतत् रूप से दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है। इस स्वदेशी कार्यक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय सहकार पर आधारित बड़ी क्षमता वाले रिएक्टरों को भी अतिरिक्त रिएक्टरों के रूप में तैयार किया जाता है।

(घ) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के प्रारंभ से लेकर उनका संरक्षा संबंधी रिकार्ड दोष रहित रहा है, और उनके संबंध में, कोई घटना, दुर्घटना अथवा सार्वजनिक प्रक्षेत्र में निर्धारित सीमा से अधिक विकिरणसक्रियता उन्मुक्त होने की कोई घटना नहीं हुई है। सभी चरणों जैसेकि, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के स्थल निर्धारण, अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनिंग तथा प्रचालन के दौरान संरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के सभी चरणों में आवधिक संरक्षा पुनरीक्षा के लिए एक बहु-चरणीय संरक्षा पुनरीक्षा व्यवस्था, और विनियामक प्राधिकरण द्वारा चरण-वार प्राधिकार प्रदान किए जाने की व्यवस्था मौजूद है। इन पुनरीक्षाओं के आधार पर, और वैश्विक अनुभवों तथा आधुनिक मानकों के अनुरूप, संरक्षा को अपग्रेड किया जाना, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ड.) फुकुशिमा दुर्घटना के संदर्भ में, भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संरक्षा पुनरीक्षा का काम, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा किया गया था। इन पुनरीक्षाओं से यह पता चला था कि, भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्र सुरक्षित हैं, और यह बाह्य गंभीरतम प्राकृतिक घटनाओं का सामना कर सकते हैं। राजस्थान परमाणु बिजलीघर यूनिट 3 तथा 4 की संरक्षा की पीयर पुनरीक्षा का काम, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के प्रचालन संरक्षा पुनरीक्षा दल (ओएसएआरटी) द्वारा, किया गया था। इस पुनरीक्षा के बाद, प्रचालन संरक्षा पुनरीक्षा दल ने, एक सुदृढ़ संरक्षा व्यवस्था की मौजूदगी की सराहना की।

* * * * * * *